



## श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

(केंद्रीय विश्वविद्यालय, संसद अधिनियम द्वारा स्थापित)

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

धारा 4(1)(बी) (xv)

1.9 : अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें क्षतिपूर्ति प्रणाली भी शामिल है।

पीबीआर-2022-23

<https://www.slbsrsv.ac.in/sites/default/files/uploadfiles/PBR-2022-23.pdf>

पीबीआर-2023-24

<https://www.slbsrsv.ac.in/sites/default/files/uploadfiles/PBR%202024.pdf>

सीएजी और पीएसी पैरा ;

<https://www.slbsrsv.ac.in/sites/default/files/uploadfiles/CAG%20%26%20PAC.pdf>

1.9.2 विनियमों में प्रदत्त मुआवजे की प्रणाली

क) (अर्जित/परिवर्तित/प्रतिपूरक) अवकाश शिक्षण आवेदन प्रपत्र- नियम प्रपत्र में उल्लिखित हैं

ख) (अर्जित/परिवर्तित/प्रतिपूरक) अवकाश गैर-शिक्षण आवेदन प्रपत्र- नियम प्रपत्र में उल्लिखित हैं

ग) (आकस्मिक अवकाश/प्रतिबंधित अवकाश/विशेष आकस्मिक अवकाश) शिक्षण अवकाश आवेदन प्रपत्र- नियम प्रपत्र में उल्लिखित हैं

घ) (आकस्मिक अवकाश/प्रतिबंधित अवकाश/विशेष आकस्मिक अवकाश) गैर-शिक्षण अवकाश आवेदन प्रपत्र- नियम प्रपत्र में उल्लिखित हैं

ङ) (इयूटी अवकाश) शिक्षण अवकाश आवेदन प्रपत्र- नियम प्रपत्र में उल्लिखित हैं

च) (इयूटी अवकाश/विशेष आकस्मिक) अवकाश स्वीकृति प्रपत्र- नियम प्रपत्र में उल्लिखित हैं

छ) चाइल्ड केयर लीव आवेदन (शिक्षण कर्मचारी)- नियम प्रपत्र में उल्लिखित हैं

ज) चाइल्ड केयर लीव आवेदन (गैर-शिक्षण कर्मचारी)- नियम प्रपत्र में उल्लिखित हैं

झ) एलटीसी अग्रिम स्वीकृति प्रपत्र- नियम प्रपत्र में उल्लिखित हैं

[https://www.slbsrsv.ac.in/sites/default/files/Form%20No.%2023\\_0.pdf](https://www.slbsrsv.ac.in/sites/default/files/Form%20No.%2023_0.pdf)

कर्मचारियों को केंद्र सरकार और यूजीसी के नियमों और विनियमों के अनुसार मुआवजे की व्यवस्था है ।